

(नियम 26)




अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पीपलू

रामकिशोर बनाम तहसीलदार पीपलू

किरम मुकदमा-प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. 1956

प्रकरण संख्या 114 सन् 2025

2025/305

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर द तारीख अदालत जो इस हुकम की तारीख में जारी हुई
09.06.25	<p>पत्रावली रिपोर्ट होकर पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर तलबी समन प्रतिपक्षी जारी हो। पत्रावली दिनांक 13.06.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;"><b>उप खण्ड अधिकारी</b> <b>पीपलू (टॉक)</b></p>	
13 <sup>06</sup> / <sub>25</sub>	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रार्थी उपस्थित/पक्षों को राज्य राजकाय में अस्त/अवकाश पर/स्थानान्तरित होने के कारण पत्रावली का आदेशिका अनुसार दिनांक 13/06/25 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"></p>	
20 <sup>06</sup> / <sub>25</sub>	<p>पत्रावली पेश हुई राज्य पक्ष उपस्थित। पीपलू से विवेक प्राप्त राज्य पक्ष के बहल का विवेक किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया प्राप पत्रावली की शर्तों का शीकार किया जाता है/विषय प्रमुख से लिया जाकर शामिल किया गया पत्रावली विहित शुमार है/इफ्तल शामिल है जो विधानसभा नम्बर से कम है।</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;"><b>उप खण्ड अधिकारी</b> <b>पीपलू (टॉक)</b></p>	